

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैयाथान,
जिला सूरजपुर

ज्ञापन

क्रमांक 2861/भू-अर्जन/2021
प्रति,

भैयाथान दिनांक 13 / 10 / 2021


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

विषय:- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के प्रकाशन बावत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत ग्राम पासल तहसील भैयाथान में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि अर्जन हेतु ग्राम पासल के प्राथमिक शाला भवन में दिनांक 23.09.2021 को जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्तिम किया गया। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 (24) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की प्रति का प्रकाशन किया जाना है।

संलग्न :- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की प्रति


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

भैयाथान, जिला सूरजपुर

भैयाथान दिनांक 13 / 10 / 2021

पृ0 क्रमांक / 2861/भू-अर्जन/2021
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर की ओर सूचना पटल में प्रकाशनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार भैयाथान, जिला सूरजपुर की ओर सूचना पटल में प्रकाशनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भैयाथान, जिला सूरजपुर की ओर सूचना पटल में प्रकाशनार्थ।
5. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत भैयाथान, पंचायत भवन के सूचना पटल में प्रकाशनार्थ।


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

भैयाथान, जिला सूरजपुर